सं0सं0–16 / एम.1–57 / 2015

देशी चिकित्सा निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 श्याम सुन्दर सिंह,
निदेशक, देशी चिकित्सा।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
सभी राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होमियोपैथिक कॉलेज

अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना

प्रबंधक,
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना

उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, कदमकुऑं, पटना

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

Pi. Website
पर Upload

पटना, दिनांक –

विषय :–सेवांत लाभ के लम्बित मामलों के निपटारे हेतु दिनांक 18.03.2016 को पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक 391(18) दिनांक 24.02.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में लम्बित सेवांत लाभ / पेंशन की मामलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहुत Empowered Committee की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।

प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में दिनांक 18.03.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सभी जिला मुख्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों जहां पेंशन के मामले लंबित है, वहां पेंशन अदालत का आयोजन कर मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाय तथा इससे संबंधित सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाय। कृत कार्रवाई से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 18.03.2016 को निश्चित रूप से पेंशन अदालत आयोजित किया जाय। निर्धारित तिथि को पेंशन अदालत आयोजित नहीं होने की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
निदेशक, देशी चिकित्सा

ज्ञापांक– 316(दे0चि0)   पटना,दिनांक– 08/03/2016

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के आशुलिपिक / श्री शंकर प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/2016
निदेशक, देशी चिकित्सा

~~C-S, খুলনা।~~

~~DM, [illegible]~~